

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935	
No. 193]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935	

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2014

का.आ. 241(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 789(अ), तारीख 20 मार्च, 2009 द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण में दो अंशकालिक सदस्यों की निम्नान्सार नियुक्ति करती है :—

1.	श्री जी.एन. अग्रवाल,	सदस्य (अंशकालिक)
	फ्लैट सं. 2003, सी-विंग, चैतन्य टावर्स, अप्पासाहेब मराटे	
	एम, प्रभा देवी, मुंबई-400025	
2.	श्री टी भार्गव,	सदस्य (अंशकालिक)
	फ्लैट सं. 801, इंदर टावर, गोखले रोड, दादर, मुंबई-400025	

2. यह अधिस्चना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एम-18013/02/2011-बी.1]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव (बीए, पी एंड आई)

351 GI/2014 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2014

S.O. 241(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby appoints two part-time members to the Appellate Authority constituted under Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), by the Central Government, Ministry of Corporate Affairs, *vide* notification No. S.O.789(E), dated the 20th March, 2009, as under :—

1.	Shri G. N. Agarwal,	Member (Part-time)
	Flat No. 2003, C-Wing, Chaitanya Towers, Appasaheb Marathe M, Prabha Devi, Mumbai-400025.	
2.	Shri T. Bhargava	Member (Part-time)
	Flat No. 801, Inder Tower, Gokhale Road, Dadar, Mumbai-400025.	

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. M-18013/02/2011-Ins.I]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy. (BA, P&I)